हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य सेवाएं I)

अधिसूचना

दिनांक 1 जून, 1993

सं० सा० का० नि० 31/संवि०/अनु० 309/93.—हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं) अधिसूचना सं० 523-3 जी०एस० I-70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970, के खण्ड 6 के परन्तुक के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा वर्ग III के ऐसे पद, जिन्हें 31 मार्च, 1993 को वर्ग-III के कम से कम दो वर्ष की सेवा अवधि वाले तदर्थ कर्मचारी धारण करते हैं, अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए विनिर्दिष्ट करते हैं और उनकी सेवाएं नियमित की जाएंगी, यदि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं, अर्थात्:—

(i) कि कर्मचारियों ने 31 मार्च, 1993, को दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और 31 मार्च, 1993 को सेवा में थे;

(ii) कि कर्मचारी संगत प्रवर्गों के पदों/रिक्तियों के विरुद्ध नियमित किए जाएंगे सामान्य वर्ग के कर्मचारी अपने कोटे से अधिक इस स्पष्ट शर्त के साथ नियमित किए जाएंगे कि भविष्य में की जाने वाली भर्तियों में केवल आरक्षित प्रवर्गों के उम्मीदवार उस समय तक नियुक्त किए जाएंगे, जब तक कि सामान्य वर्ग के तदर्थ कर्मचारियों द्वारा आरक्षित वर्गों की रिक्तियों के भरे जाने से उत्पन्न होने वाली पिछली कमी पूरी नहीं हो जाती;

(iii) कि कर्मचारी रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती हुए हो अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रोजगार कार्यालय से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद सीधे तौर पर नियुक्त किए गए हों;

(iv) कि ऐसे कर्मचारियों का कार्य और आचरण समूचे तौर पर अच्छे वर्गीकरण का हो और उनके विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाही लम्बित न हो; और

(v) कि कर्मचारी तदर्थ आधार पर अपनी नियुक्ति के समय पदों के लिए विहित योग्यताएं रखते हों।

3. इस प्रकार से नियमित किए गए वर्ग III के तदर्थ कर्मचारियों की नियमित आधार पर नियुक्त वर्ग III के कर्मचारियों के साथ ज्येष्ठता 31 मार्च, 1993 से निश्चित की जाएगी। ऐसे वर्ग III के तदर्थ कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उन द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यग्रहण की तिथि के अनुसार निश्चित की जाएगी। यदि ऐसे तदर्थ कर्मचारियों द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यग्रहण की तिथि एक हो तब आयु में बड़ा कर्मचारी छोटे कर्मचारी से ज्येष्ठ कर्मचारियों। द्वारा सीधी भर्ती वाले की नियुक्ति तिथि और तदर्थ कर्मचारी की नियमितता की तिथि एक जैसा हो तब सीधी भर्ती वाला कर्मचारी ज्येष्ठ होगा।

बी० एस० ओझा,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GENERAL SERVICE—I)

**Natification**

The 1st June, 1993

No. GSR/31/Const./Art./309/93—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the proviso to clause 6 of Haryana Government, General Administration Department (General Services) notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, the Governor of Haryana hereby specifies such Class III posts as have been held for a minimum period of two years on the 31st March, 1993 by Class III employees on ad hoc basis to be taken out of the purview of the Subordinate Services Selection Board, Haryana and their Services shall be regularised if they fulfil the following conditions namely :—

(i) that the employees has completed two yeers service on the 31st March, 1993 and were in service on 31st March, 1993;

(ii) that the employees shall be regularised againt the posts/vacancies of relevant categories. The employees of general category may be regularised in excess of their quota with the clear stipulation that in future recruitments only the candidates from reserve categories will be appointed until the back long arising out of utilisation of reserve category vacancies by general category ad hoc employees is cleared ;

(iii) that the employees should hove been required through the Employment Exchange or directly appointed by the appointing authority after obtaining the non-availability certificate from the Employment Exchange ;

(iv) that the work and conduct of such employees shall be of over all good category and no disciplinary proceedings are pending against them; and

(v) that the employees possessed the prescribed qualifications for the post at the time of their appointment on ad hoc basis.

2. The seniority of the ad hoc Class III employees so regularised, viz-a-viz the Class III employees appointed on regular basis shall be determined with effect from 31st March, 1993. The inter se seniority of such ad hoc Class III employees shall be determined in accordance with the date of their joining the post on ad hoc basis. If the date of joining the post(s) on achoc basis by such ad hoc employees was the same, then an older employee shall rank senior to an employee younger in age. If the date of appointment of direct recruit and the date of regularisation of ad hoc employees is the same, the direct recruit shall be senior.

B. S. OJHA,
Chief Secretary to Government,
Haryana.